111 सूरए अल लहब

□ □□□□ □□□ (सूरा 111) की न्याय -दर्शन आधारित आलोचनात्मक समीक्षा
□ उद्देश्य : **प्रत्येक आयत की तार्किक जाँच न्याय-दर्शन, गीता, मनुस्मृति, एवं अन्य वैदिक दर्शनों के संदर्भ में करना।**
□ प्रयुक्त तत्व : **प्रमेय *(ज्ञान का विषय),* हेतु *(कारण),* व्याप्ति *(नियत संबंध),* हेत्वाभास *(तर्कदोष),* और कर्म सिद्धांत।**

□ आयत 1:

"अबु लहब के हाथ टूट जाएँ और वह ख़ुद सत्यानास हो जाए"

□ न्याय -विश्लेषण :

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):
एक विशेष व्यक्ति (अबु लहब) के विनाश की भविष्यवाणी और शाप।

2. हेतु (Hetu):
कोई तात्त्विक या नैतिक कारण नहीं दिया गया कि उसे विनाश का पात्र क्यों ठहराया गया। यह केवल एक व्यक्तिगत शाप है।

3. उदाहरण (Udaharana):

- **मनुस्मृति *8.127:* "राजा को शांति एवं न्याय की भावना से प्रेरित होकर दंड देना चाहिए, क्रोध से नहीं।"**
- **गीता *2.47:* "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" – कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं।**

4. उपनय (Upanaya):
यदि किसी धार्मिक विरोधी को केवल न मानने के कारण शापित किया जाए, तो यह न्याय नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतिशोध होगा।

5. निगमन (Nigamana):
यह आयत न्याय दर्शन के तात्त्विक तत्व – निष्पक्षता और कर्मफल सिद्धांत - के विरुद्ध है। इसमें द्वेषजन्य शाप है, जो विवेकशील नीति-शास्त्र से विपरीत है।

आयत **2:**

"(आख़िर) न उसका माल ही उसके हाथ आया और (न) उसने कमाया"

न्याय -विश्लेषण :

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):
उसका धन और परिश्रम किसी काम नहीं आया।

2. हेतु (Hetu):
केवल इसलिए कि वह विरोधी था, उसकी सारी संपत्ति को अर्थहीन बता दिया गया।

3. उदाहरण (Udaharana):

- **मनुस्मृति *4.240:* "जो पुरुष अपने परिश्रम से धन अर्जित करता है, उसका उपयोग धर्मानुसार होना चाहिए।"**
- **गीता *3.8:* "स्वधर्मे निधनं श्रेयः" - व्यक्ति को अपने कर्तव्य द्वारा अर्जित धन फलदायक होता है।**

4. उपनय (Upanaya):
यह कथन परिश्रम से प्राप्त धन का अपमान है, जो कर्म सिद्धांत को खंडित करता है।

5. निगमन (Nigamana):
यह आयत तात्त्विक दृष्टि से कर्म और प्रयत्न के मूलभूत सिद्धांत को अस्वीकार करती है, जो न्याय, संख्य एवं गीता तीनों के विरोध में है।

आयत **3:**

"वह बहुत भड़कती हुयी आग में दाख़िल होगा"

न्याय -विश्लेषण :

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):
उसका अंतिम स्थान नर्क का भड़कता हुआ अग्निकुंड होगा।

2. हेतु (Hetu):
यह सज़ा किस कर्म के लिए दी गई है, यह स्पष्ट नहीं किया गया। कोई विशेष अपराध या नैतिक दोष प्रस्तुत नहीं।

3. उदाहरण (Udaharana):

- **मनुस्मृति *11.227:* "किसी भी प्राणी को दंड केवल उसके किए कर्म के अनुसार मिलना चाहिए।"**
- **गीता *18.63:* "स्वतंत्रता के साथ ज्ञान प्राप्त कर, फिर निर्णय कर।"**

4. उपनय (Upanaya):
न्यायिक सिद्धांत कहता है कि निष्पक्ष तर्क और कर्मविश्लेषण के बिना कोई दंड नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ घृणा आधारित निर्णय है।

5. निगमन (Nigamana):
यह आयत निष्पक्ष कर्मफल सिद्धांत का उल्लंघन करती है और पूर्वाग्रहित दंड का उदाहरण बनती है।

सारांश तालिका – सूरह लहब (सूरा 111)

आयत	तात्त्विक दोष	न्यायदर्शनीय दोष	विरोधी शास्त्र संदर्भ
1	द्वेषपूर्ण शाप	हेत्वाभास (तर्कदोष)	मनु 8.127, गीता 2.47
2	धन-निंदात्मक	प्रयत्न-विरोध	मनु 4.240, गीता 3.8
3	असंबद्ध दंड	कर्महीन दंड व्यवस्था	मनु 11.227, गीता 18.63

न्यायिक निष्कर्ष (Conclusion):

सूरह लहब की तीनों आयतें न्यायदर्शन, कर्म सिद्धांत, तथा नीति-शास्त्र के विरुद्ध हैं।
इन आयतों में:

- **तात्त्विक दोष (Hetvabhasa),**
- **द्वेषभाव पर आधारित न्याय (हिंसा प्रेरित दंड),**
- **कर्म-विरोधी दृष्टिकोण**
  स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

निष्कर्षतः **, यह सूरा न्याय, विवेक और समदृष्टि जैसे आर्य दर्शन के मूल तत्त्वों को अस्वीकार करती है।**

 यदि आप चाहें तो **अगली सूरा – सूरह इखलास (सूरा 112) का न्याय दर्शन विश्लेषण आरंभ कर सकते हैं। निर्देश दें।**

  (सूरा **111) –** आयत **4** और **5** का न्याय **-**दर्शन आधारित विश्लेषण
 उद्देश्य **: अबू लहब की पत्नी के संदर्भ में इन आयतों की समीक्षा न्याय दर्शन, मनुस्मृति, गीता, और कर्म सिद्धांत के आधार पर तात्त्विक रूप से करना।**
 प्रयुक्त तत्त्व **: प्रमेय, हेतु, व्याप्ति, तात्त्विक दोष (Hetvabhasa), और धर्मनीति।**

आयत **4:**

"और उसकी जोरू भी जो सर पर ईंधन उठाए फिरती है"

न्याय **-**विश्लेषण **:**

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):
अबू लहब की पत्नी को भी दंडित किया जा रहा है, जिसमें उसे सिर पर लकड़ी (ईंधन) उठाने वाली बताया गया है।

2. हेतु (Hetu):
इस कथन में उसका अपराध स्पष्ट नहीं है – उसे केवल उसके पति के विरोध या सहयोग के कारण निंदा की जा रही है।

3. उदाहरण (Udaharana):

- **मनुस्मृति *8.316:* "स्त्रियाँ भी स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती हैं, उनका दंड तभी हो जब उनका दोष सिद्ध हो।"**
- **गीता *5.18:* "पंडित सबको समदृष्टि से देखते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो या स्त्री।"**

4. उपनय (Upanaya):
केवल किसी स्त्री का पति का विरोधी होना ही उसके लिए दंड का कारण नहीं बन सकता। यह न्याय-दृष्टि से असंगत है।

5. निगमन (Nigamana):
यह आयत तात्त्विक दृष्टि से स्त्री के स्वतंत्र कर्म और विचार को नकारती है और पूर्वग्रहित दंड प्रदान करती है।

□ आयत **5:**

"और उसके गले में बटी हुयी रस्सी बँधी है"

□ न्याय -विश्लेषण :

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):
उसकी गर्दन में एक रस्सी बँधी है - यह उसकी पराजय और दंड का प्रतीक है।

2. हेतु (Hetu):
स्त्री के गले में रस्सी बाँधना - प्रतीकात्मक रूप से उसका अपमान या दासता दिखाता है - पर उसका नैतिक अपराध स्पष्ट नहीं किया गया।

3. उदाहरण (Udaharana):

- **मनुस्मृति *3.56:* "स्त्रियों का सम्मान करना धर्म का अंग है।"**
- **गीता *16.1-3:* "अहिंसा, क्षमा, और दया - ये दैवी गुण हैं।"**

4. उपनय (Upanaya):

रस्सी बांधना एक शारीरिक अपमान और हिंसात्मक संकेत है। न्याय-दर्शन किसी भी रूप में दंड का उद्देश्य सुधार मानता है, अपमान नहीं।

5. निगमन (Nigamana):

यह आयत मानवाधिकार और न्यायसंगत दंड सिद्धांत के पूर्ण विरोध में है। यहाँ पर स्त्री को प्रतीकात्मक रूप से नीचा दिखाया गया है, जो न्याय, योग और नीति शास्त्र के विरुद्ध है।

󰀀 सारांश तालिका – आयत **4** और **5**

आयत	दोष का प्रकार	न्यायिक दोष	विरोधी शास्त्र-संदर्भ
4	**पूर्वग्रहित स्त्री-दंड**	**हेत्वाभास (तर्क दोष)**	**मनु 8.316, गीता 5.18**
5	**अपमानजनक प्रतीक**	**कर्म-दंड सिद्धांत का उल्लंघन**	**मनु 3.56, गीता 16.1–3**

󰀀 न्यायिक निष्कर्ष **(Conclusion):**

सूरह लहब की अंतिम दोनों आयतें (4 और 5) न्याय-दर्शन, स्त्री सम्मान सिद्धांत, और वैदिक नैतिकता के पूर्णतः विरुद्ध पाई गई हैं।
इनमें –

- **स्त्री को बिना अपराध सिद्धि के दंडित करना,**
- **प्रतीकात्मक रूप से उसका अपमान करना,**
- **तथा बिना न्यायिक तर्क के उसे अत्याचार का पात्र बनाना –**
  ये सभी न्याय दर्शन और धर्मशास्त्र के विपरीत हैं।

󰀀 यदि आप अगली सूरा (󰀀󰀀󰀀󰀀 **सूरह इखलास या कोई अन्य सूरह) का न्यायिक विश्लेषण चाहते हैं, तो कृपया अगली आयत भेजें।**